"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च 2006—चैत्र 3, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मार्च 2006

क्रमांक ई-1-2/2006/एक/2.—श्री बी. एल. ठाकुर, भा.प्र.से. (1989), आयुक्त, आदिवासी विकास को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संपूर्ण बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जिलों के सलवा जुडूम प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास, राहत शिविरों की समुचित व्यवस्था तथा विकास कार्यों की मानिटिरिंग के समन्वयक का कार्य भी सौंपा जाता है. श्री बी. एल. ठाकुर, का इस कार्य हेतु मुख्यालय जगदलपुर होगा तथा वे सप्ताह में तीन-चार दिन जगदलपुर में मुख्यालय बनाकर संपूर्ण बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

जिलों के सलवा जुडूम प्रभावित विस्थापितों के पुनर्वास, राहत शिविरों की समुचित व्यवस्था तथा इन जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे. तत्संबंध में आवश्यक निर्देश तीनों जिला कलेक्टरों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को दे सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2006

क्रमांक ई 7-30/2004/1/2.—श्री शैलेश पाठक, भा.प्र.से., राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर को दिनांक 13-3-2006 से 21-3-2006 तक (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 एवं 12 मार्च, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पाठक, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पाठक, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पाठक, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री पाठक के उक्त अवकाश अवधि में श्री के.डी.पी. राव, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर का कार्य संपादित करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2006

क्रमांक/1957/33/25-2/आजाकवि/2006.—राज्य शासन, एतद्द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 1799 दिनांक 6-3-2006 की द्वितीय पंक्ति में अंकित दिनांक 15-8-2003 के स्थान पर दिनांक 15-9-2003 प्रतिस्थापित करता है.

शेष विवरण यथावत् रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेले, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मार्च 2006

क्रमांक एफ 8-10/2004/11/6.—इंडियन वायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा मेसर्स छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, कोरबा (पश्चिम) कोरबा के बायलर क्रमांक-एम. पी./3555 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 2-3-2006 से दिनांक 1-9-2006 तक की छूट प्रदान करता है :—

1. संदर्भाधीन वायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय वायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शंकर राव ब्राहम्णे, उप-सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 7 मार्च 2006

क्रमांक/क/635/अ.वि.अ./वा-1/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	पाड़ीमार	5.029	अतिरिक्त अधीक्षण यंत्री (सिविल) एक छ.रा.वि.मं., कोरबा (पूर्व).	राखड़ बांध के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 13 मार्च 2006

क्रमांक/500/अ.वि.अ./भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	गोपालपुर	5.95	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	गोपालपुर जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राजयपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 फरवरी 2006

क्रमांक 1021/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-भरदागोंड, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-103.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	1.34
3	0.30
4	0.24
5	0.07
6	0.22
7	0.20
8	0.36
9	0.14
10	0.56
13	0.49
14/1	0.13
14/2	0.13
15	0.20
16	0.22
18/1	0.18
19	2.07
21	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
23	0.35	70	0.21
24/1	0.11	71	0.21
24/2	0.56	72	0.03
24/3	0.17	73	0.06
24/4	0.11	74	0.21
25	0.13	75/1	0.08
26	0.45	75/2	0.05
27	0.25	75/3	0.05
28	0.46	76	0.19
30	0.30	77	0.04
31	0.30	78	0.03
32	0.60	79	0.04
33	0.30	80	0.14
34	0.40	81	0.06
35	0.48	82	0.14
36	0.47	83	0.25
40	0.14	84	0.22
41	0.14	85	0.23
42	0.62	86	0.07
43	0.20	87	0.79
44	0.24	88	0.10
45	0.21	96	0.14
46	0.32	97	0.11
47	0.36	98/1	0.06
48	0.14	98/2	0.11
49	0.20	99	0.07
50	1.03	100	0.05
51	0.24	101	0.05
52	0.12	102	0.27
54	0.20	103	0.11
57	0.47	104/1	0.18
58	0.29	104/2	0.17
59	0.25	105/1	0.18
60	0.16	105/2	0.19
61	0.11	106/1	0.10
62	0.16	106/2	0.16
63	0.11	106/3	0.10
64	0.05	106/4	0.05
65	0.06	106/5	0.10
66	0.03	107	0.02
67	0.10	110	0.16
68	0.10	112	0.87
69	0.11	113	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
114	0.15	215	0.12
116	0.06	216	1.37
117	0.12	217	0.73
118/2	0.43	218	0.54
119	0.31	219	0.44
193	0.20	220	0.32
194	0.38	235/2	0.17
195	0.25	235/3	0.17
196/1	0.25	237	0.61
196/2	0.57	238	1.26
196/3	0.29	239	0.71
196/4	0.25	240	0.85
197	0.29	241/1	0.47
198	0.34	241/2	0.23
200	0.43	241/3	0.23
201	0.25	241/4	0.46
202	0.33	242/1	0.37
204	2.50	242/2	0.36
205/1	7.00	242/3	0.37
205/2	1.00	243	0.77
207	0.42	244	0.34
209/1	0.06	245/1	0.10
209/2	0.06	245/2	0.24
209/3	0.06	245/3	0.19
209/4	0.06	245/4	0.16
211/1	0.36	245/5	0.06
211/2	0.90	245/6	0.14
211/3	1.26	245/7	0.10
211/4	1.00	245/8	0.23
212	0.90	245/9	0.23
213/1	11.21	246/1	1.20
213/2	0.50	246/2	0.92
213/3	1.00	246/3	1.32
213/4	1.00	246/4	0.12
213/5	3.02	257/1	0.33
213/6	1.30	257/2	2.85
213/7	1.00	257/3	0.76
213/8	0.45	257/4	1.66
213/9	0.50	257/5	0.76
213/10	3.16	257/6	0.63
214/1	0.18	257/7	1.14
214/2	0.21	257/8	0.52
214/3	0.19	257/9	0.60

(1)	(2)
257/10	0.60
259	0.08
271	0.13
572	0.32
573	0.28
574/1	0.21
574/2	0.21
578	0.56
579	0.25
580/1	0.07
580/2	0.08
581	0.25
582	0.08
583	0.70
589/3	0.32
588	0.30
616	0.30
617	0.45
623	0.19
625/1	0.41
625/2	1.34
626/1	0.48
626/2	0.27
628/1	0.40
628/2	0.31
629	0.22
630/1	0.11
630/2	0.18
632	0.50
633/1	0.02
633/2	0.03
योग 220	103.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-पंडरिया जलाशय के अंतर्गत डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक/598/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 23-राजनांदगांव के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री कोमलसिंह राजपूत	उपाध्यक्ष	नंदई चौक, राजनांदगांव

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 3. मार्च 2006

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक/598/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 24-बांधाबाजार के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री तुकाराम सहारे	उपाध्यक्ष	ग्राम चवेला, पो. भावसा, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव.

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 3 मार्च 2006

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक/598/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 25-छुरिया के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री हिरेन्द्रकुमार	उपाध्यक्ष	ग्राम बादराटोला, पो. आमगांव, जिला राजनांदगांव

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 3 मार्च 2006

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक/598/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 26-डोंगरगढ़ के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्रीमती धनेश्वरी सिन्हा	उपाध्यक्ष	ग्राम बिल्हरी, पो. आ. गांतापारकाला, तह. डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव.

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 3 मार्च 2006

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक/598/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 27-डोंगरगांव के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री ईश्वरसिंह सेवता	उपाध्यक्ष	ग्राम गिरगांव, पो. आ. दीवानभेड़ी, तह. डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव.

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 3 मार्च 2006

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

राजनांदगांव, दिनांक 3 मार्च 2006

क्रमांक/598/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 28-खैरागढ़ के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री सारंगदेव सिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम भरदाकला, पो. आ. बल्देवपुर, तह. खैरागढ़ जिला- राजनांदगांव.

स्थान : राजनांदगांव
दिनांक : 3 मार्च 2006

जी. एस. मिश्रा,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला- धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 28 फरवरी 2006

क्रमांक 410 क/मंडी निर्वाचन/विविध/22/अधिसूचना/2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार धमतरी जिले के क्रमांक 1 में दर्शित कृषि उपज मंडी समितियों के लिए क्रमांक 2 में दर्शित कृषक सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है :—

मंडी समिति का क्रमांक व नाम (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिए निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
17-कृषि उपज मंडी समिति धमतरी.	श्री बृजेश राव	उपाध्यक्ष	ग्राम दरगहन, पोस्ट डोमा, तहसील एवं जिला-धमतरी.
18-कृषि उपज मंडी समिति कुरूद.	श्री टीकम चन्द्र साहू	उपाध्यक्ष	ग्राम गाड़ाडीह, तहसील कुरूद, जिला धमतरी
19-कृषि उपज मंडी समिति नगरी.	श्री तुलसीराम	उपाध्यक्ष	ग्राम चिवरी (रै.), पोस्ट करैहा, तहसील नगरी जिला धमतरी.

हस्ता./-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला- सरगुजा (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक/520/मण्डी निर्वा./2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सरगुजा जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्र. (1)	मण्डी समिति का नाम (2)	निर्वाचित सदस्य का नाम (3)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (4)	पता (5)
1.	66-अम्बिकापुर	श्री लकेश्वर दास	उपाध्यक्ष	ग्राम व पो. कुन्नी, जिला सरगुजा
2.	67-रामानुजगंज	श्री उत्तम सिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम धौली, पो. चूनापत्थर, जिला सरगुजा
3.	68-सीतापुर	श्री अशोक कुमार	उपाध्यक्ष	ग्राम सलेयाडीह, पो. बिलासपुर, जिला सरगुजा
4.	69-प्रतापपुर	श्री सुरेश कुमार	उपाध्यक्ष	ग्राम डांडकरवां, पो. रेवटी, जिला सरगुजा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	70-सूरजपुर	श्री हुबलाल सिंह	उपाध्यक्ष	ग्राम व पो. बंजा, जिला सरगुजा
6.	71-कुसमी	श्रीमती कुसुम देवी	उपाध्यक्ष	ग्राम दोहना, पो. सिहार, जिला सरगुजा

मनोज कुमार पिंगुआ,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला-कबीरधाम (छ.ग.)

कबीरधाम, दिनांक 28 फरवरी 2006

क्रमांक/145/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 30-कवर्धा के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री रामकिंकर	उपाध्यक्ष	ग्राम खंडसरा, पो. मड़मड़ा, वि. खं बोड़ला, जिला कबीरधाम.

कबीरधाम, दिनांक 28 फरवरी 2006

क्रमांक/146/मंडी निर्वाचन/अधि.-2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति 31-पण्डरिया के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री कृष्णा	उपाध्यक्ष	ग्राम कुई, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम

बी. एल. तिवारी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला-महासमुद (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 28 फरवरी 2006

क्रमांक/364/मंडी निर्वा./05-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 25-2-2006 एवं 27-2-2006 को सम्पन्न निर्वाचन में महासमुन्द जिले में स्थित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष विधिवत् निर्वाचित घोषित किए गए है :—

क्रमांक	मंडी का क्रमांक एवं नाम	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	12- महासमुन्द	श्री लोकनाथ आत्मज श्री सुखराम पटेल.	ग्राम-तेन्दूवाही, पोस्ट-तुरेंगा, महासमुन्द
2.	13- बसना	श्री मोहितराम आत्मज श्री ईश्वर प्रसाद पटेल.	ग्राम पोस्ट-गढ़गांव, बसना
3.	14- बागबाहरा	श्रीमती सुशीला पति श्री तुलाराम	ग्राम-विहाझर, पोष्ट-बागबाहरा
4.	15- सरायपाली	श्री पदमन आत्मज श्रीराम प्रधान	ग्राम पोस्ट- तोरेसिंहा, सरायपाली
5.	16- पिथौरा	श्रीमती भोजमती पति स्व. घासीराम पटेल.	ग्राम पोस्ट- पिरदा, पिथौरा

एस. के. तिवारी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (मण्डी निर्वाचन), जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 4 मार्च 2006

क्रमांक/512/मंडी निर्वा./अधि. 2005-06.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ज़िले के कृषि उपज मण्डी समितियों का प्रथम सम्मेलन दिनांक 28-02-2006 को आहुत किया गया एवं उसमें नियमानुसार मण्डी समिति के उपाध्यक्ष का चुनाव सम्पन्न कराया गया. मण्डी समितियों के नव निर्वाचित उपाध्यक्ष निम्नानुसार निर्वाचित घोषित किए गए हैं :—

क्र.	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम	पता	मण्डी समिति का क्र. व नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री बद्रीनाथ पटेल	मु. पो. धनागर, तह. रायगढ़	57- रायगढ़
2.	श्रीमती जेमा देवी	मु. चारभाठा, पो. बनई, तह. घरघोड़ा	58- घरघोड़ा
3.	श्री अवधराम पटेल	मु. पो. मुरा, तह. खरसिया	59- खरसिया

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	श्री दुर्गाप्रताप सिंह	ग्रा. पो.-सारंगढ़, वार्ड क्र.-15, तह. सारंगढ़	60- सारंगढ़
5.	श्री चक्रधर पटेल	ग्रा. पो. लेन्ध्रा, तह. सारंगढ़	61- बरमकेला

एस. के. राजू,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), कोरिया, बैकुन्ठपुर

कोरिया, दिनांक 1 मार्च 2006

क्रमांक/259/मंडी निर्वाचन/उपा./अधि. 2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इस जिले के कुल दो कृषि उपज मंडी समिति 72-बैकुन्ठपुर एवं 73-मनेन्द्रगढ़ के लिए निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :—

क्रमांक (1)	मंडी समिति का क्र. एवं नाम (2)	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम (3)	पता (4)
1.	72-बैकुन्ठपुर	श्री छत्रपाल	ग्राम एवं पोस्ट सरभोका, जिला-कोरिया.
2.	73-मनेन्द्रगढ़	श्री विजय कुमार	ग्राम विछियाटोला, पो. केल्हारी जिला-कोरिया.

शहला निगार,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), जिला कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2006

क्रमांक/419/मण्डी-निर्वाचन/अधि.-2005-2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति कटघोरा क्रमांक-56 के लिये निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है.

क्रमांक (1)	निर्वाचित सदस्य का नाम (2)	पदनाम जिसके लिये निर्वाचित हुए (3)	पता (4)
1.	श्री श्रीकांत/पिता के. आर. सोनकर	उपाध्यक्ष	ग्राम केराझरिया, तहसील पाली

गौरव द्विवेदी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कोरबा, दिनांक 1 मार्च 2006

क्रमांक/420/क/म.नि./05-06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (तीन) के अनुसरण में कार्यालय, कलेक्टर कोरबा की अधिसूचना क्रमांक/419/मण्डी निर्वा./2006 दिनांक 1-3-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

गौरव द्विवेदी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

Korba, the 1st March 2006

No./419/Mandi Election/Noti./2005-06.—It is hereby notified that the following person has been elected for the office of Vice Chairman of Krishi Upaj Mandi Samiti Katghora No. 56 District-Korba.

S. No. (1)	Name of the elected person (2)	Name of the office i.e. Vice Chairman (3)	Address (4)
1.	Shri Shrikant/K. R. Sonkar	Vice Chairman	Vill. Kerazhriya Tah. Pali.

Gaurav Dwivedi,
Collector & District Election Officer.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), रायपुर, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2006

क्रमांक/241/स.अ./मण्डी-निर्वा./अधि. उपा./2006.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि रायपुर जिले के अंतर्गत कृषि उपज मण्डी समितियों में निम्नानुसार उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किये गये हैं :--

क्रमांक (1)	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम (2)	निर्वाचित उपाध्यक्ष का नाम (3)	पता (4)
1.	भाटापारा	श्री अनिलकुमार पाण्डेय	मु. पो. कामता, तहसील सिमगा, जिला-रायपुर.
2.	नवापारा	श्री शोभाराम साहू	ग्राम व पो. चांपाझर, तहसील अभनपुर, जिला-रायपुर.
3.	आरंग	श्री कोमल चंद्राकर	ग्राम व पो. छटेरा, थाना आरंग जिला-रायपुर.
4.	बलौदाबाजार	श्री महेन्द्रकुमार साहू	ग्राम गिर्रा, पो. ससहा, तहसील पलारी, जिला-रायपुर.
5.	नेवरा	श्री शिवशंकर वर्मा	ग्राम व पो. बेल्दारसिवनी, तहसील तिल्दा, जिला-रायपुर.
6.	राजिम	श्री भागवत हरित	ग्राम व पो. फिंगेश्वर, तहसील राजिम, जिला-रायपुर
7.	भटगांव	श्री मोरध्वज साहू	ग्राम शीतलपुर, पो. सेन्दुरस, तहसील बिलाईगढ़, जिला रायपुर
8.	गरियाबंद	श्रीमती राधाबाई	ग्राम व पो. सढौली, तहसील गरियाबंद, जिला-रायपुर.
9.	कसडोल	श्री रविन्द्र पटेल	ग्राम मानदीप, पो. नगरदा, तहसील कसडोल, जिला-रायपुर.
10.	अभनपुर	श्री लक्ष्कुमार साहू	ग्राम खट्टी, पो. परसदा, तहसील अभनपुर, जिला-रायपुर.

सुबोध कुमार सिंह,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), जिला-बस्तर

जगदलपुर, दिनांक 14 मार्च 2006

क्रमांक/271/स्था.निर्वा./मंडी निर्वा./2006.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 12 की उपधारा 9 के प्रावधान तथा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्द्वारा निम्न सारणी के अनुसार बस्तर जिला के कृषि उपज मंडी निर्वाचन 2005-06 में सारणी के कॉलम (2) में वर्णित कृषि उपज मंडी समिति के लिये कॉलम (4) में उल्लिखित पदाधिकारी के उपाध्यक्ष निर्वाचन को अधिसूचित किया जाता है.

सारणी

क्रमांक	कृषि उपज मण्डी समिति का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचन सम्पन्न हुआ	पदाधिकारी का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जगदलपुर	उपाध्यक्ष	श्री बिल्डिंग राम नाग पिता श्री अमलू	ग्राम-टाहकापाल, पोस्ट-सिंगनपुर, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर
2.	कोण्डागांव	उपाध्यक्ष	श्री मन्हेर कोर्राम पिता श्री दुल्लूराम	ग्राम-चरकई, विकासखण्ड-फरसगांव, तहसील-कोण्डागांव, जिला-बस्तर.
3.	केशकाल	उपाध्यक्ष	श्री लददूराम उइके पिता श्री बैहाराम उइके	ग्राम-उमला, पोस्ट-ईरागांव, विकासखण्ड-केशकाल, जिला-बस्तर.
4.	नारायणपुर	उपाध्यक्ष	श्री लीमचंद पटेल पिता श्री बुधसन	ग्राम-महिमागवाड़ी, तहसील-नारायणपुर जिला-बस्तर.

दिनेश कुमार श्रीवास्तव,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.